मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३८ सन् २०१९

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, २०१९

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है. संक्षिप्त नाम.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में,— मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.

(१) धारा ९ में,—

(क) उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) नगरपालिक वार्डों से निर्वाचित पार्षदों द्वारा निर्वाचित महापौर;";

(ख) उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(४) यदि किसी नगरपालिक क्षेत्र का कोई वार्ड, पार्षद् का निर्वाचन करने में असफल रहता है, तो ऐसे वार्ड के स्थान को भरने के लिए छह माह के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाहियां प्रारंभ की जाएंगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता, उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जाएगा:

परंतु अध्यक्ष, महापौर, किन्हीं विभागीय समितियों या समितियों में से किसी के निर्वाचन की कार्यवाहियां ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते स्थगित नहीं की जाएंगी.".

(२) धारा १० में, उपधारा (४) में, प्रथम परन्तुक में, शब्द "छह मास" के स्थान पर, शब्द "दो मास" स्थापित किए जाएं.

(३) धारा १२ में,—

(एक) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(घ) किसी पंचायत या किसी नगरपालिका के नगरपालिक क्षेत्र से संबंधित किसी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत नहीं है;";

(दो) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़े जाएं, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण. १**—इस धारा के प्रयोजन हेतु "पंचायत" का वही अर्थ होगा जैसा कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा २ के खण्ड (सत्रह) में इसके लिए समनुदेशित किया गया है.

''**स्पष्टीकरण.** २—इस धारा के प्रयोजन हेतु ''नगरपालिक क्षेत्र'' का वही अर्थ होगा जैसा कि मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ३ के खण्ड (१८-क) में इसके लिए समनुदेशित किया गया है.''.

(४) धारा १४ में,—

(क) उपधारा (१) में, शब्द ''तथा महापौर'' का लोप किया जाए;

(ख) उपधारा (२) में, शब्द ''तथा महापौर'' का लोप किया जाए.

(५) धारा १४-क में, उपधारा (१) में, शब्द ''महापौर'' के स्थान पर, शब्द ''पार्षद'' स्थापित किया जाए.

(६) धारा १४-ख में, शब्द ''महापौर'' के स्थान पर, शब्द ''पार्षद'' स्थापित किया जाए.

(७) धारा १४-ग में, शब्द ''या महापौर'' का लोप किया जाए.

(८) धारा १५ में,—

(क) शब्द ''या महापौर'' का लोप किया जाए;

(ख) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु कोई भी व्यक्ति पार्षदों के किसी निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा.''.

(९) धारा १६ में, उपधारा (४) का लोप किया जाए.

(१०) धारा १७ में,—

(क) उपधारा (१) में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द ''या महापौर'' का लोप किया जाए;

(दो) प्रारंभिक पैरा में, शब्द ''या महापौर'' का लोप किया जाए;

(तीन) खण्ड (ख ख) में, शब्द ''या महापौर'' का लोप किया जाए;

(ख) उपधारा (२) में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द ''या महापौर'' का लोप किया जाए;

(दो) प्रारंभिक पैरा में, शब्द ''या महापौर'' का लोप किया जाए;

(तीन) खण्ड (ङ) में, शब्द ''या महापौर'' का लोप किया जाए;

(ग) उपधारा (३) में, शब्द ''पार्षद या महापौर'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द ''पार्षद'' स्थापित किया जाए.

(११) धारा १७-ख में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, शब्द ''महापौर तथा'' का लोप किया जाए;

(ख) उपधारा (१) में, प्रारंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''प्रत्येक पार्षद्, यथास्थिति, निगम के प्रथम सम्मिलन में अध्यक्ष (स्पीकर) के चुनाव में भाग लेने के पूर्व या अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करेगा:—'';

(ग) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(२) यदि पार्षद् उपधारा (१) के अधीन शपथ नहीं लेता है, तो यह समझा जाएगा कि ऐसे पार्षद् ने अपना पद ग्रहण नहीं किया है:

परंतु यदि पार्षद्, संभागीय आयुक्त की अनुमति के सिवाय, उसके निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से तीन माह के भीतर शपथ नहीं लेता है तो उसका स्थान स्वयंमेव ही रिक्त हुआ समझा जाएगा.''.

(१२) धारा १८ में,—

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''अध्यक्ष तथा महापौर का निर्वाचन'';

(ख) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(१) राज्य निर्वाचन आयोग, धारा २२ के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, अध्यक्ष तथा महापौर के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाएगा.'';

(ग) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(३) उपधारा (१) के अधीन सम्मिलन, ऐसी रीति में बुलाया जाएगा, जैसी कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अवधारित की जाए, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी. अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा और मत बराबर होने की दशा में परिणाम लाट द्वारा ऐसी रीति में विनिश्चत किया जाएगा, जैसी कि विहित की जाए.''.

(१३) धारा २० में, स्पष्टीकरण में, शब्द ''अध्यक्ष'' के पश्चात्, शब्द ''तथा महापौर'' अन्त:स्थापित किए जाएं.

(१४) धारा २३-क में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में तथा उपधारा (१) में, शब्द ''अध्यक्ष'' जहां कहीं भी आया हो, के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्त:स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (२) के खण्ड (दो) में, शब्द ''महापौर'' के स्थान पर, शब्द ''अध्यक्ष, महापौर,'' स्थापित किए जाएं.

(१५) धारा २४ का लोप किया जाए.

(१६) धारा ४४१ में, उपधारा (२) में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(तीन) महापौर के निर्वाचन की दशा में, किसी निर्वाचित पार्षद् द्वारा.".

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में,—

(१) धारा १९ में,—

(क) उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् के निर्वाचित पार्षदों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष अर्थात् सभापति (चेयरपर्सन);

(ख) उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(४) यदि किसी नगरपालिक क्षेत्र का कोई वार्ड, पार्षद् का निर्वाचन करने में असफल रहता है तो ऐसे वार्ड के स्थान को भरने के लिए छह माह के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाहियां प्रारंभ की जाएंगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता, उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जाएगा:

परंतु अधिनियम के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किन्हीं समितियों के निर्वाचन की कार्यवाहियां ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते हुए स्थगित नहीं की जाएंगी.".

(२) धारा २० में, उपधारा (२) में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(तीन) अध्यक्ष के निर्वाचन की दशा में, किसी पार्षद् द्वारा;".

(३) धारा २९ में, उपधारा (४) में प्रथम परन्तुक में, शब्द "छह मास" के स्थान पर, शब्द "दो मास" स्थापित किए जाएं.

(४) धारा ३० में,—

(एक) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(घ) किसी पंचायत या किसी नगरपालिक निगम के नगरपालिक क्षेत्र से संबंधित किसी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत नहीं है;";

(दो) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़े जाएं, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण. १**—इस धारा के प्रयोजन हेतु "पंचायत" का वही अर्थ होगा जैसा कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा २ के खण्ड (सत्रह) में इसके लिए समनुदेशित किया गया है.

स्पष्टीकरण. २—इस धारा के प्रयोजन हेतु ''नगरपालिक क्षेत्र'' का वही अर्थ होगा जैसा कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा ५ के खण्ड (३४-क) में इसके लिए समनुदेशित किया गया है.''.

(५) धारा ३२ में,—

(क) उपधारा (१) में, शब्द ''अध्यक्ष तथा'' का लोप किया जाए;

(ख) उपधारा (२) में, शब्द ''अध्यक्षों तथा'' का लोप किया जाए;

(६) धारा ३२-क में, उपधारा (१) में, शब्द ''अध्यक्ष'' जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द ''पार्षद'' स्थापित किया जाए.

(७) धारा ३२-ख में, शब्द ''अध्यक्ष'' के स्थान पर, शब्द ''पार्षद'' स्थापित किया जाए.

(८) धारा ३२-ग में, शब्द ''या अध्यक्ष'' का लोप किया जाए.

(९) धारा ३३ में,—

(क) प्रारंभिक पैरा में, शब्द ''या अध्यक्ष''' का लोप किया जाए;

(ख) विद्यमान परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु कोई भी व्यक्ति पार्षद के किसी निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा.''.

(१०) धारा ३५ में, शब्द ''अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन या'' का लोप किया जाए.

(११) धारा ४३ में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, शब्द ''उपाध्यक्ष'' के पूर्व, शब्द ''अध्यक्ष तथा'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(१) राज्य निर्वाचन आयोग, नगरपालिका परिषद् एवं नगर परिषद् के प्रत्येक निर्वाचन के तुरंत पश्चात् अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, करवाएगा. परिषद् के निर्वाचित सदस्य धारा ५५ में यथाविनिर्दिष्ट अपने प्रथम सम्मिलन में निर्वाचित सदस्यों में से, विहित रीति में एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे.'';

(ग) उपधारा (३) में, शब्द ''उपाध्यक्ष'' के पूर्व, शब्द ''अध्यक्ष तथा'' अंत:स्थापित किए जाएं.

(१२) धारा ४३-क में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, शब्द ''उपाध्यक्ष'' के पूर्व, शब्द ''अध्यक्ष या'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (१) में, शब्द ''उपाध्यक्ष'' जहां कहीं भी वे आए हों, के पूर्व, शब्द ''अध्यक्ष या'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(ग) उपधारा (२) में, खण्ड (दो) में, शब्द ''अध्यक्ष'' के स्थान पर शब्द ''अध्यक्ष, उपाध्यक्ष'' स्थापित किए जाएं.

(१३) धारा ४७ का लोप किया जाए.

(१४) धारा ५५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन.

"५५. (१) राज्य निर्वाचन आयोग, धारा ४५ के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से १५ दिन के भीतर, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन सम्मिलन, ऐसी रीति में बुलाया जाएगा, जैसी कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अवधारित की जाए, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी. अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा और मत बराबर होने की दशा में परिणाम लाट द्वारा ऐसी रीति में विनिश्चित किया जाएगा, जैसी कि विहित की जाए.".

(१५) धारा ५६ में, अंक "४७" का लोप किया जाए.

(१६) धारा ६२ में, उपधारा (३) में, खण्ड (तीन) के परंतुक में, शब्द, अंक तथा अल्पविराम "या ४७," का लोप किया जाए.

(१७) धारा ६३ में, परन्तुक में, शब्द "उपाध्यक्ष या" का लोप किया जाए.

(१८) धारा ३२८ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ख) में, शब्द "उपाध्यक्ष" जहां कहीं भी वे आए हों, के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष तथा" अंत:स्थापित किए जाएं.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

४. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१९ (क्रमांक ७ सन् २०१९) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में नगरीय निकायों के अध्यक्ष तथा महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है. अध्यक्ष तथा महापौर की प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था के कारण, निर्वाचित पार्षदों के साथ उनके समन्वय में कमी रह जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय नहीं हो पाता है, अतएव नगरों का विकास प्रभावित होता है. पूर्व में अध्यक्ष तथा महापौर का निर्वाचन निर्वाचित पार्षदों द्वारा होता था. निर्वाचित पार्षदों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष तथा महापौरों के पास बहुमत होता था, अतएव निर्णय तथा कार्य सहजता से निष्पादित किए जाते थे. अतएव, निर्वाचित पार्षदों द्वारा अध्यक्ष तथा महापौरों के निर्वाचन के लिए यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. पिछले वर्षों में नगरीय स्थानीय निकायों से लगे हुए क्षेत्रों में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है. इस परिस्थिति में, नागरिकों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से, नगरीय स्थानीय निकायों की सीमा का विस्तार आवश्यक है, किन्तु सामान्यत: नगरीय स्थानीय निकाय, आवश्यकतानुसार सीमा विस्तार/वार्ड विभाजन की प्रक्रिया निर्वाचन से पूर्व प्रारंभ करते हैं. वार्डों के पुनर्गठन के लिए क्षेत्र को सम्मिलित या बाहर करने के ६ माह के उपबंध का ध्यान रखते हुए, प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए अपेक्षित समय ८-९ मास पूर्व का है, क्योंकि सीमा विस्तार के संबंध में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के निराकरण के पश्चात्, अंतिम प्रकाशन के लिए कम से कम ४५ दिनों की कालावधि अपेक्षित है. इसी प्रकार, विस्तार के पश्चात्, वार्ड के नए सिरे से परिसीमन के लिए ३० दिन की कालावधि अपेक्षित है, इस दृष्टि से ६ मास की कालावधि अधिक है, अतएव ६ मास के स्थान पर, २ मास स्थापित किया गया है.

३. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा ५ ''ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण'' यह उपबंध करती है कि ''कोई व्यक्ति मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा यदि वह किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है''. अतएव, कोई मतदाता दो स्थानों अर्थात् किसी नगरपालिक निगम या नगरपालिका के साथ-साथ किसी पंचायत का मतदाता नहीं हो सकता है. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १२ में तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ३० में समान उपबंध नहीं होने के कारण किसी मतदाता का नाम नगरपालिक निगम, नगरपालिका और पंचायत में होने पर, वर्तमान में नगरपालिक निगमों तथा नगरपालिकाओं के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को अन्य स्थान से मतदाता का नाम हटाने की शक्ति नहीं है. नगरपालिक निगम या नगरपालिका निर्वाचन में, मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन का तत्स्थानी उपबंध किए जाने हेतु यथोचित संशोधन प्रस्तावित है. जिसके कारण दोहरे मतदाताओं को रोका जाएगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० (१९५० का ४३) की धारा १७ और १८ के उपबंधों तथा आधारभूत संकल्पनाओं को सुनिश्चित किया जाएगा.

४. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१९ (क्रमांक ७ सन् २०१९) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

५. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १६ दिसम्बर, २०१९.

जयवर्द्धन सिंह
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रस्तावित संशोधन विधेयक के खण्ड २ (१२) (ग) तथा खण्ड ३ (१४) द्वारा निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सम्मिलन बुलाने, सम्मिलन की अध्यक्षता हेतु प्राधिकारी नियुक्त किये जाने तथा मदतान बराबर होने की दशा में परिणम लाट द्वारा विनिश्चित किए जाने के संबंध में राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

वर्तमान में नगरीय निकायों के अध्यक्ष तथा महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है. अध्यक्ष तथा महापौर की प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था के कारण, निर्वाचित पार्षदों के साथ उनके समन्वय में कमी रह जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय नहीं हो पाता है, अतएव नगरों का विकास प्रभावित होता है. पूर्व में अध्यक्ष तथा महापौर का निर्वाचन निर्वाचित पार्षदों द्वारा होता था. निर्वाचित पार्षदों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष तथा महापौरों के पास बहुमत होता था, अतएव निर्णय तथा कार्य सहजता से निष्पादित किए जाते थे. पिछले वर्षों में नगरीय स्थानीय निकायों से लगे हुए क्षेत्रों में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, नगरीय स्थानीय निकायों की सीमा का विस्तार आवश्यक था, एवं मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा ५ ''ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण'' यह उपबंध करती है कि ''कोई व्यक्ति मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा यदि वह किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है''. अतएव, कोई मतदाता दो स्थानों अर्थात् किसी नगरपालिक निगम या नगरपालिका के साथ-साथ किसी पंचायत का मतदाता नहीं हो सकता है. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १२ में तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ३० में समान उपबंध नहीं होने के कारण किसी मतदाता का नाम नगरपालिक निगम, नगरपालिका और पंचायत में होने पर, वर्तमान में नगरपालिक निगमों तथा नगरपालिकाओं के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को अन्य स्थान से मतदाता का नाम हटाने की शक्ति नहीं थी. नगरपालिक निगम या नगरपालिका निर्वाचन में, मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन का तत्स्थानी उपबंध किए जाने हेतु यथोचित संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था.

चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१९ (क्रमांक ७ सन् २०१९) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) से उद्धरण.

* * * *

धारा ९. (क) नगरपालिक *(वार्डों) से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचन द्वारा निर्वाचित महापौर अर्थात् सभापति (चेयरपर्सन):

(४) यदि कोई नगरपालिक क्षेत्र महापौर का निर्वाचन करने में असफल रहे या कोई वार्ड पार्षद का निर्वाचन करने में असफल रहे, तो यथास्थिति ऐसे नगरपालिक क्षेत्र या वार्ड के लिए स्थान को भरने के लिए छह माह के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जाएगा:

परन्तु अधिनियम के अधीन अध्यक्ष, विभागीय समितियों या समितियाँ में से किसी के निर्वाचन की कार्यवाहियॉ ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते स्थगित नहीं की जाएंगी.

धारा १०. (४) जैसे ही किसी नगरपालिक क्षेत्र के वार्डों की रचना पूर्ण हो जाती है, राज्य सरकार द्वारा उसकी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को की जाए :—

परन्तु किसी भी नगरपालिक निगम के कार्यकाल की पूर्णता के छह माह पूर्व क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार की प्रक्रिया अनिवार्यत: पूर्ण कर ली जाए अन्यथा राज्य निर्वाचन आयोग पूर्व निर्धारित एवं प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा:

परन्तु यह और कि ऐसे क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार आने वाली निर्वाचन प्रक्रिया हेतु लागू होंगे.

* * * *

धारा १२. (सी) उस विधान सभा निर्वाचन नामावली में, जिसका कि उस वार्ड से संबंध स्थापित किया जा सकता हो, नाम दर्ज किया जाने के लिए अन्यथा अर्हित है:

उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किए जाने का हकदार होगा:

परन्तु—

(एक) कोई भी व्यक्ति उसी नगर में के एक से अधिक वार्डों कि निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किया जाने का हकदार नहीं होगा.

(दो) कोई भी व्यक्ति किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार नाम दर्ज किया जाने का हकदार नहीं होगा.

* * * *

धारा १४. (१) नगरपालिक निगमों के (पार्षदों तथा महापौर के सभी निर्वाचनों) के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार कराए जाने और सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा.

(२) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, निर्वाचक नामावलियॉ तैयार करने के लिए और नगरपालिक निगमों के (पार्षदों तथा महापौर के सभी निर्वाचनों) के संचालन के लिए नियम बनाएगी.

धारा १४-क. (१) महापौर के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिसके अंतर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा.

स्पष्टीकरण एक—किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन के संबंध में किसी राजनैतिक दल द्वारा अथवा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उपगत या प्राधिकृत किए गए किसी व्यय के बारे में इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह नहीं समझा जाएगा कि वह निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया व्यय है.

स्पष्टीकरण दो—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि सरकार की सेवा में के और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १२३ के खण्ड (७) में वर्णित वर्गों में से किसी व्यक्ति द्वारा या उस खंड के परंतु में यथावर्णित अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन या तात्पर्यित निर्वहन में किए गए किसी इंतजाम, दी गई किसी सुविधा या किए गए किसी अन्य कार्य या की गई किसी बात की बाबत् उपगत किसी व्यय के बारे में इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह नहीं समझा जाएगा कि वह निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया व्यय है.

(२) उक्त व्यय को जोड़ उस रकम से अधिक नहीं होगा जो राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से विहित की जाए.

(३) व्यय के लेखे में ऐसी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी जैसी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित की जाएं.

धारा १४.-ख. महापौर के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अंदर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा १४-क के अधीन रखा है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

धारा १४-ग. यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति,—

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा निगम का (पार्षद या महापौर) होने के लिए उस आदेश की तारीख से (पांच वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए) निर्हित होगा.

* * * *

धारा १५. ऐसा प्रत्येक मतदाता को किसी वार्ड में तत्समय प्रवृत्त निर्वाचन नामावली में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, पार्षदों या महापौर के किसी निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र होगा और कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी व्यक्ति यथास्थिति, पार्षदों के किसी निर्वाचन में या महापौर के निर्वाचन में, एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा.

* * * *

धारा १६. (४) यदि कोई व्यक्ति महापौर और पार्षद दोनों पदों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो उसे निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर किसी एक पद से अपना त्यागपत्र देना होगा.

* * * *

धारा १७. (१) कोई भी ऐसा व्यक्ति (पार्षद या महापौर)—नहीं होगा जो,—

(बी-बी) (पार्षद या महापौर) के रूप में और आगे निर्वाचित किए जाने या (नामनिर्दिष्ट) किए जाने के लिए धारा १७-ए के अधीन निरर्हित कर दिया गया हो, जब तक कि वह ऐसी निरर्हता से राज्य सरकार द्वारा मुक्त न कर दिया गया हो:

(२) यदि कोई (पार्षद या महापौर) ऐसी अवधि के भीतर, जिसके लिए वह (निर्वाचित) या (नामनिर्दिष्ट) किया गया हो,—

(ई) धारा १४-ग के अधीन पार्षद या महापौर के रूप में चुने जाने के लिए तथा होने के लिए निरर्हित हो जाता है:

(३) [उपधारा (१) के खण्ड (एन) और उपधारा (२) के खण्ड (ई) के अधीन आने वाले प्रकरणों के सिवाय प्रत्येक प्रकरण में] (प्रत्येक प्रकरण में) यह निर्णय देने के लिए कि क्या इस धारा के अधीन कोई स्थान रिक्त हुआ है सक्षम प्राधिकारी शासन होगा. यह निर्णय या तो किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र पर या स्वयं की प्रेरणा पर दिया जा सकेगा. जब तक शासन यह निर्णय न कर दे कि स्थान रिक्त हुआ है, वह (पार्षद या महापौर) के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य नहीं होगा:

किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई भी आज्ञा किसी भी (पार्षद या महापौर) के विरुद्ध उसे सुने जाने का यथोचित अवसर दिए बिना नहीं दी जाएगी.

धारा १७-ख. (१) प्रत्येक महापौर तथा प्रत्येक पार्षद, यथास्थिति, निगम के प्रथम सम्मिलन में अध्यक्ष (स्पीकर) के चुनाव में भाग लेने के पूर्व या अपना पद ग्रहण करने के पूर्व कलेक्टर के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करेगा:—

(२) यदि महापौर या पार्षद उपधारा (१) के अधीन शपथ नहीं लेता है तो यह समझा जाएगा कि यथास्थिति, ऐसे महापौर या पार्षद ने अपना पद ग्रहण नहीं किया है:

परन्तु यदि यथास्थिति, महापौर या पार्षद संभागीय आयुक्त की अनुमति के सिवाय, यथास्थिति, निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से तीन मास के भीतर शपथ नहीं लेता है तो उसका स्थान स्वयमेव ही रिक्त हुआ समझा जाएगा.

* * * *

धारा १८. (१) निगम का महापौर तथा निर्वाचित पार्षद धारा २२ के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, विहित रीति में निर्वाचित पार्षदों में से एक अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे.

(३) उपधारा (१) के अधीन सम्मिलन कलेक्टर द्वारा बुलाया जाएगा तथा वह उसकी अध्यक्षता करेगा.

* * * *

धारा २०. [**स्पष्टीकरण**—(अध्यक्ष) को निर्वाचित करने के लिए धारा (१८) की उपधारा (१) के अधीन किए गए सम्मिलन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस उपधारा के प्रयोजन के लिए प्रथम सम्मिलन है.]

* * * *

धारा २३-क. (१) अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपधारा (२) के अधीन उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए सम्मिलन में किसी निर्वाचित पार्षद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा और यदि प्रस्ताव सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो जाए और यदि ऐसा बहुमत से स्वीकृत हो जाए और यदि ऐसा बहुमत निगम का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अधिक हो, तो अध्यक्ष का पद तत्काल रिक्त हुआ समझा जाएगा:

परन्तु अध्यक्ष के विरुद्ध ऐसा कोई प्रस्ताव,—

(एक) उस तारीख से जिससे कि अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करे, दो वर्ष की कालावधि के भीतर,

(दो) उस तारीख से, जिस पर कि पूर्व अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया था, एक वर्ष के भीतर नहीं होगा.

(२) उपधारा (१) के प्रयोजन के लिए निगम का सम्मिलन बुलाया जाएगा तथा कलेक्टर द्वारा उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित रीति में की जाएगी,—

(एक) तत्समय निगम का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम-से-कम (एक तिहाई) द्वारा हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा पर तत्काल सम्मिलन बुलाया जाएगा.

(दो) ऐसे सम्मिलन की सूचना, तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए महापौर तथा प्रत्येक पार्षद को सम्मिलन के दस पूर्ण दिन पूर्व भेजी जाएगी.

(तीन) इस धारा के अधीन लाए गए अविश्वास के प्रस्ताव का विनिश्चिय गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा.

* * * *

धारा २४. (१) किसी निगम के प्रत्येक महापौर द्वारा अपना पद तत्काल रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा यदि उसे ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो कि विहित की जाए, निगम क्षेत्र के मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक मतदाताओं के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान से वापस बुलाया जाए:

परन्तु वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक कि निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम तीन चौथाई पार्षद द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएं और उसे (संभागीय आयुक्त) को प्रस्तुत न कर दिया जाए:

परन्तु यह और कि ऐसी कोई प्रक्रिया:—

(एक) उस तारीख से जिसको कि ऐसा महापौर निर्वाचित होता है और अपना पद धारण करता है, दो वर्ष की कालावधि के भीतर आरंभ नहीं की जाएगी:

(दो) यदि उप चुनाव में निर्वाचित महापौर की आधी कालावधि का अवसान न हो गया हो, आरंभ नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि महापौर को वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया उसकी संपूर्ण अवधि में एक बार ही आरंभ की जाएगी.

(२) (संभागीय आयुक्त) अपना समाधान कर लेने और यह सत्यापित कर लेने के पश्चात कि उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट तीन चौथाई पार्षदों ने वापस न बुलाए जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार उसे राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित करेगी.

(३) राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश प्राप्त होने पर, वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, मतदान कराने की व्यवस्था करेगा.

धारा ४४१. (१) इस अधिनियम के अधीन किसी भी निर्वाचन या (नाम-निर्देशन) पर, इस धारा के आदेशों के अनुसार प्रस्तुत की गई याचिका द्वारा ही आपत्ति की जाएगी, अन्यथा नहीं.—

(२) ऐसी याचिका धारा ४४१-आ में निर्दिष्ट आधारों में से एक या अधिक आधारों पर—

(अ) ऐसे निर्वाचन या (नाम-निर्देशन) के किसी भी उम्मीदवार द्वारा: या

(आ) (एक) पार्षद के निर्वाचन की दशा में, संबंधित हल्के के किसी भी मतदाता द्वारा:

(दो) पार्षद के (नाम-निर्देशन) दशा में, किसी भी पार्षद द्वारा:

(तीन) महापौर के निर्वाचन की दशा में नगरपालिक क्षेत्र के किसी मतदाता द्वारा.

* * * *

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) से उद्धरण

धारा १९. (क) नगरपालिका क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष सभापति (चेयर पर्सन)

(४) यदि कोई नगर पालिक क्षेत्र अध्यक्ष का निर्वाचन करने में असफल रहे या कोई वार्ड पार्षद का निर्वाचन करने में असफल

रहे, तो यथा स्थिति ऐसे नगर पालिक क्षेत्र या वार्ड के स्थान को भरने के लिए छः माह के भीतर नई निर्वाचन की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जाएगा:

परन्तु अधिनियम के अधीन उपाध्यक्ष या किन्हीं समितियों के निर्वाचन की कार्यवाहियाँ ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते स्थगित नहीं की जाएगी.

* * * *

धारा २०. (१) इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन (या नाम निर्देशन) को इस धारा के उपबंधों के अनुसार अर्जी प्रस्तुत करके ही प्रश्नगत किया जाएगा अन्यथा नहीं,—

(२) ऐसी अर्जी धारा २२ में विनिर्दिष्ट आधारों में से एक या अधिक आधार पर—

(क) ऐसे निर्वाचन (या नाम-निर्देशन) में किसी अभ्यर्थी द्वारा; या

(ख) :—(एक) पार्षद के निर्वाचन की दशा में, संबंधित वार्ड के किसी भी मतदाता द्वारा;

(दो) पार्षद के (नाम-निर्देशन) की दशा में, किसी पार्षद द्वारा;

(तीन) नगरपालिका क्षेत्र के किसी मतदाता द्वारा अध्यक्ष के निर्वाचन की दशा में.

* * * *

धारा २९. (४) जैसे ही किसी नगरपालिका के वार्डों की रचना पूर्ण हो जाती है, राज्य सरकार द्वारा उसकी रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को की जाएगी:

परन्तु किसी भी नगरपालिका के कार्यकाल की पूर्णता के छह माह पूर्व क्षेत्र के सम्मिलित किये जाने या हटाये जाने अथवा वार्डों के सुधार की प्रक्रिया अनिवार्यतः पूर्ण कर ली जाए अन्यथा राज्य निर्वाचन आयोग पूर्व निर्धारित एवं प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करेग:

धारा ३०. * * * *

(सी) उस विधान सभा निर्वाचक नामावली में, जिसका वार्ड से संबंध स्थापित किया जा सकता हो, नाम दर्ज किए जाने के लिए अन्यथा अर्हित है,

उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किया जाने का हकदार होगा; परन्तु

(एक) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों की निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज किया जाने का हकदार नहीं होगा;

(दो) कोई भी व्यक्ति किसी वार्ड की निर्वाचक नामवली में एक से अधिक बार नाम दर्ज किया जाने का हकदार नहीं होगा.

* * * *

धारा ३२. (१) नगरपालिका के (अध्यक्षों तथा पार्षदों के सभी निर्वाचनों) के लिए निर्वाचक नामवलियाँ तैयार कराए जाने और (अध्यक्षों तथा पार्षदों के सभी निर्वाचनों) के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा.

(२) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, निर्वाचक नामवलियाँ तैयार करने के लिये और नगरपालिका के (अध्यक्षों तथा पार्षदों के सभी निर्वाचनों) के संचालन के लिए नियम बनाएगी.

* * * *

धारा ३२-क. (१) प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अंतर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा.

धारा 32-ख. अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा ३२-क के अधीन रखा है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा.

धारा ३२-ग. यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है, कि कोई व्यक्ति,—

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, तथा

(ख) उस असफलता के लिये कोई अच्छा कारण न्यायोचित्य नहीं रखता है तो निर्वाचन आयोग राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा यथास्थिति, नगरपालिका परिषदों या (नगर परिषद्) का (पार्षद या अध्यक्ष) होने के लिये उस आदेश की तारीख से (पाँच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए) निरर्हित होगा.

* * * *

धारा 33. ऐसे प्रत्येक मतदाता जो किसी वार्ड में तत्समय प्रव्त निर्वाचन नामावली में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है पार्षदों या अध्यक्ष के किसी निर्वाचन में मतदान करने के लिये पात्र होगा और कई ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है, मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी व्यक्ति यथास्थिति पार्षदों के किसी निर्वाचन में या अध्यक्ष के निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा.

धारा ३५. कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन या पार्षद के रूप में निर्वाचन या नाम निर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा.

* * * *

धारा ४३. (१) परिषद् के अध्यक्ष तथा निर्वाचित सदस्य (. . . .) (धारा ५५ की उपधारा २) में यथा विनिर्दिष्ट अपने प्रथम सम्मिलन में निर्वाचित पार्षदों में से विहित रीति में एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे.

(३) उपाध्यक्ष की पदावधि परिषद् की पदाविध से सहविस्तारी होगी.

धारा ४३ क. (१) उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपधारा (२) के अधीन उस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से बुलाए गए सम्मिलन में निर्वाचित किसी पार्षद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा और यदि प्रस्ताव सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो जाए और यदि ऐसा बहुमत उस समय परिषद् का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अधिक हो तो उपाध्यक्ष का पद तत्काल रिक्त हुआ समझा जाएगा. ऐसे प्रस्ताव की एक प्रति मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा कलेक्टर को तत्काल रिक्ति को भरने के लिए भेजी जाएगी:

परन्तु उपाध्यक्ष के विरुद्ध ऐसा कोई प्रस्ताव,—

(एक) उस तारीख से, जिससे कि उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण करे, दो वर्ष की कालावधि के भीतर :

(दो) उस तारीख से, जिस तारीख के पूर्व अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया था, एक वर्ष की कालावधि के भीतर, नहीं होगा.

(२) उपधारा (१) के प्रयोजन के लिये परिषद् का सम्मिलन बुलाया जाएगा तथा नगरपालिका परिषद् के मामलों में कलेक्टर या किसी प्रथम वर्ग अधिकारी द्वारा और (नगर परिषद्) के मामले में किसी द्वितीय वर्ग अधिकारी द्वारा जैसा कि उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात् :—

(एक) तत्समय परिषद् का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या से कम से कम एक षष्ठमांश द्वारा हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा पर तत्काल सम्मिलन बुलाया जाएगा.

(दो) ऐसे सम्मिलन की सूचना, तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए, अध्यक्ष तथा प्रत्येक पार्षद को सम्मिलन के दस पूर्ण दिन पूर्व भेजी जाएगी.

(तीन) इस धारा के अधीन लाया गया अविश्वास के प्रस्ताव का विनिश्चय गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा.

* * * *

धारा ४७. (१) किसी परिषद् के प्रत्येक अध्यक्ष द्वारा अपना पद तत्काल रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा यदि उसे ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो कि विहित की जाए, नगरपालिका क्षेत्र के मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक मतदाताओं के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान से वापस बुलाया जाए:

परन्तु वापस बुलाने के ऐसी कोई प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक कि निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम तीन चौथाई पार्षदों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएं और उसे कलेक्टर को प्रस्तुत न कर दिया जाए:

परन्तु यह और कि ऐसी कोई प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की जाएगी . .

(एक) उस तारीख से जिसको कि ऐसा अध्यक्ष निर्वाचित होता है और अपना पद धारण करता है, दो वर्ष की कालावधि के भीतर आरंभ नहीं की जाएगी.

(दो) यदि उपचुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष की आधी कालावधि का अवसान न हो गया हो आरंभ नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया उसकी संपूर्ण अवधि में एक बार ही आरंभ की जाएगी.

(२) कलेक्टर अपना समाधान कर लेने और यह सत्यापन कर लेने के पश्चात् कि उपधारा,

(१) में विनिर्दिष्ट तीन चौथाई पार्षदों ने वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार उसे राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित करेगी.

(३) राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश प्राप्त होने पर, वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, मतदान कराने के लिए व्यवस्था करेगा.

* * * *

धारा ५५. (१) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से, प्रत्येक साधारण निर्वाचन के (पन्द्रह दिन) के भीतर, एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के प्रयोजन के लिये निर्वाचित पार्षदों का एक सम्मिलन बुलाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन बुलाए गए परिषद् के प्रथम सम्मिलन की अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी द्वारा, जो नगरपालिका परिषद् के मामले में डिप्टी कलेक्टर की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो तथा (नगर परिषद्) के मामले में तहसीलदार की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो, की जाएगी और इस अध्याय में अंतर्विष्ट वे समस्त उपबंध जो परिषद् के सम्मिलनों के बारे में हैं, यथाशक्य ऐसे सम्मिलन के संबंध में लागू होंगे :

परन्तु अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को ऐसे सम्मिलन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और मतों के बराबर होने की दशा में परिणाम का विनिश्चय लॉट द्वारा किया जाएगा.

* * * *

धारा ५६. (१) परिषद् का सम्मिलन या तो मामूली होगा या विशेष;

(२) (धारा ४३, ४३क, ४७, ५५ या ७१) में निर्दिष्ट किए गए सम्मिलन के सिवाय, प्रत्येक सम्मिलन की तारीख अध्यक्ष द्वारा, या उसके कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में, उपाध्यक्ष द्वारा और उसके संबंध में भी इसी प्रकार की दशा में होने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा नियत की जाएगी.

* * * *

धारा ६२. (३) कार्यवाहियों के उन कार्यवृतों में, जो उपधारा (१) के अधीन अभिलिखित किए गए हैं, निम्नलिखित बातें सम्मिलित होंगी :—

(एक) उपस्थित पार्षदों के नाम:

(दो) उस प्रत्येक प्रश्न पर सम्मिलन का विनिश्चय जिस पर विचार किया गया है और

(तीन) जब ऐसा विनिश्चिय सर्वसम्मत नहीं है, तब ऐसे प्रश्न के पक्ष में और विपक्ष में मतों की संख्या और मतदान करने वाले पार्षदों के नाम तथा उन पार्षदों के नाम जो तदस्थ रहे हैं, चाहे मत विभाजन पद्धति के लिये गए हैं या अन्य प्रकार से:

परन्तु धारा ४३क या ४७ के अधीन सम्मिलन के मामले में पार्षदों के नाम अभिलिखित करने से संबंधी उपबंध प्रश्न के लिए तथा उसके विरुद्ध मत (वोटिंग) देने के लिये लागू नहीं होगा.

* * * *

धारा ६३. इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे समस्त प्रश्नों का विनिश्चिय जो इस अधिनियम के अधीन होने वाले सम्मिलन के समक्ष लाए जाएं, अध्यक्ष तथा उपस्थित निर्वाचित पार्षदों के बहुमत से किया जाए और मतों की समानता की दशा में सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी को द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा:

परन्तु उपाध्यक्ष या किसी समिति के सभापति के निर्वाचन में मतों की समानता की दशा में अध्यक्षता करने वाला प्राधिकारी अपने निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा और परिणाम का विनिश्चय लाट द्वारा किया जाएगा.

* * * *

धारा ३२८. (१) राज्य सरकार, आदेश द्वारा नगरपालिका को उसके लिए कारण कथित करते हुए, विघटित कर सकेगी, यदि.—(ख) धारा ४३ की उपधारा (१) के अधीन पार्षदों के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र में पार्षदों के निर्वाचन के प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर या उपाध्यक्ष की पदावधि की समाप्ति के एक मास के भीतर, नगर पालिका के उपाध्यक्ष का निर्वाचन न करे: या

* * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.